(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1504–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–4–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 22/अपील/11–12.

1– सागर बाई पति रामलाल धाकड़
निवासी ग्राम बावन जूनी
तहसील जावद जिला नीमच
2– कमला बाई उर्फ सागर बाई
पति ओमप्रकाश धाकड़
निवासी जावद जिला नीमच
3– शांति बाई पति मोतीलाल धाकड़
निवासी केलूखेड़ा, जावद .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– सुरेंद्रसिंह पिता खुमानसिंह राजपूत
2– मोहनी कुंवर बेवा हीरेंद्रसिंह
निवासीगण ग्राम नई बावन
तहसील जावद जिला नीमच
3– म.प्र. शासन .....अनावेदकगण

श्री दिनेश ब्यास, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एम.एल. माथुर अभिभाषक, अनावेदक क. 1
श्री ए.आर. यादव, अभिभाषक, अनावेदक क. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/2/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–4–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जावद के समक्ष इस आशय की शिकायत की गई कि मन्दिर की भूमि का अवैध विक्रय किया जाकर ग्राम पंचायत द्वारा ठहराव प्रस्ताव से नामांतरण कर दिया गया है, अतः उक्त नामांतरण अवैध होने से निरस्त किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 4, 5, 6/बी–121/2010–11 दर्ज कर तीनों प्रकरणों में एकसाथ दिनांक 23–2–2011 को आदेश पारित करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव कमांक 3, 4, 5 दिनांक 7–6–2004 शून्य घोषित किया गया एवं शिकायत में चाही गई अन्य सहायता अनावेदक कमांक 1 द्वारा सक्षम न्यायालय से प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होने संबंधी निर्देश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 3–8–2011 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23–4–2012 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांतरण आदेशों को शिकायत के आधार पर निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण विविध मद बी–121 में दर्ज कर आदेश पारित किया गया है, जो कि विधि विपरीत कार्यवाही है । तर्क में यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 109/110 के अंतर्गत पारित नामांतरण आदेश को केवल अपील में ही निरस्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैधानिक है, जिसकी पुष्टि करने में अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है, इस कारण उसे शिकायत करने का अधिकार नहीं था, इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित किये गये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि मन्दिर की भूमि होकर लगभग ढाई सौ से तीन सो वर्ष पुराना है, ऐसी स्थिति में मन्दिर की भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता है।

(2) व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद कमांक 68 ए/82 नया नम्बर 357 ए/84 में व्यवहार न्यायालय द्वारा मोहनी कुंवर को केवल मन्दिर के व्यवस्थापक के अधिकार दिये गये हैं, भूमिस्वामी अधिकार नहीं ।

(3) संहिता की धारा 165 की उपधारा 1 में भूमिस्वामी ही भूमि अंतरित कर सकता है, और उपधारा 10 में उप पंजीयक द्वारा इस उपधारा के उल्लंघन में दस्तावेज रजिस्ट्री हेतु ग्रहण नहीं करने का प्रावधान है, अतः उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज पंजीयन के लिए ग्रहण करना अवैधानिक है, और ऐसे दस्तावेज से आवेदकगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ।

(4) मन्दिर की मूर्ति नाबालिग होती है, और उसकी भूमि को अन्य किसी के द्वारा अंतरित नहीं किया जा सकता है ।

(5) अनावेदक कमांक 1 द्वारा शिकायत के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, जिससे प्रमाणित है कि मन्दिर की भूमि का विक्रय किया गया है, और ग्राम पंचायत द्वारा क्रेताओं का नामांतरण करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांतरण शून्य घोषित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमियां मंदिर की भूमि हैं, अनावेदक कमांक 2 की स्थिति मंदिर के मैनेजर की है, क्योंकि व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 2 को केवल मंदिर का प्रबंधक मानते हुए कलेक्टर प्रबंधक के नाम की प्रविष्टि निरस्त की गई है, और मंदिर के प्रबंधक को मंदिर की भूमि को विक्रय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है । अर्थात प्रश्नाधीन भूमियां अनावेदक कमांक 2 के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि नहीं होकर मंदिर की भूमि है, जबकि किसी व्यक्ति को केवल अपने स्वत्व की भूमि को ही विक्रय करने का अधिकार है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को शून्य घोषित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर कलेक्टर एवं अपर

आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–4–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर